रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042025-262182
CG-DL-E-01042025-262182

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1488] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947
No. 1488] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च 2025

**का.आ. 1506 (अ). —** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 421(अ), तारीख 9 फरवरी, 2015 में थोल वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 421(अ), तारीख 9 फरवरी, 2015 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 421(अ), तारीख 9 फरवरी, 2015 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. निगरानी समिति.** – (1) केंद्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

| | | |
|---|---|---|
| (i) | अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन एवं पर्यावरण), गुजरात सरकार | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | निदेशक, पर्यावरण विभाग, गुजरात सरकार | सदस्य, पदेन; |
| (iii) | पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे हर तीन वर्ष में समय-समय पर गुजरात सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | सदस्य; |
| (iv) | गुजरात राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे हर तीन वर्ष में समय-समय पर गुजरात सरकार द्वारा नामित किया जाता है। | सदस्य; |
| (v) | गुजरात सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (vi) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | सदस्य, पदेन; |
| (vii) | सदस्य सचिव या सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड | सदस्य, पदेन; |
| (viii) | अहमदाबाद, गांधीनगर और मेहसाणा के जिला कलेक्टर या उनके प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |

| | | |
|---|---|---|
| (ix) | गांधीनगर और मेहसाणा के उप वन संरक्षक या उनके प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक, थोल वन्यजीव अभयारण्य | सदस्य, पदेन; |
| (xi) | वन संरक्षक, उत्तर गुजरात वन्यजीव सर्कल, गांधीनगर | सदस्य सचिव, पदेन। |

**5क. निगरानी समिति के कार्य:-** (1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-IV में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं. 25/18/2012-ईएसजेड/आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

**टिप्पण.--** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 421 (अ) तारीख 9 फरवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th March 2025

**S.O. 1506 (E).-**WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Thol Wildlife Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.421 (E), dated the 9th February, 2015;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 421 (E), dated the 9th February, 2015;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 421 (E), dated the 9th February, 2015, namely:-

In the said notification, For paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

"5. **Monitoring Committee**.- The Central Government hereby constitute a monitoring Committee consisting of the following persons, namely: -

| | | |
|---|---|---|
| (i) | Additional Chief Secretary (Forests and Environment), Government of Gujarat | Chairman*, ex-officio;* |
| (ii) | Director, Department of Environment, Government of Gujarat | Member, *ex-officio;* |
| (iii) | One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years | Member; |
| (iv) | An expert in the area of ecology and environment from reputed institution or University of the State of Gujarat to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years. | Member; |
| (v) | Representative of the Department of Urban Development, Government of Gujarat | Member, *ex-officio;* |
| (vi) | Regional Officer, State Pollution Control Board | Member, *ex-officio;* |
| (vii) | Member Secretary or Member, State Biodiversity Board | Member*, ex-officio;* |

| | | |
|---|---|---|
| (viii) | District Collectors of Ahmedabad, Gandhinagar and Mehsana or their representatives | Members, *ex-officio;* |
| (ix) | Deputy Conservator of Forests of Gandhinagar and Mehsana or their representatives | Members, *ex-officio;* |
| (x) | Deputy Conservator of Forests, Thol Wildlife Sanctuary | Member, *ex-officio;* |
| (xi) | Conservator of Forests, North Gujarat Wildlife Circle, Gandhinagar | Member Secretary, *ex- officio.* |

5A. **Functions of Monitoring Committee**.– (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-IV.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.".

[F. No. 25/18/2012-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

**Note. -** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 421(E), dated the 9th February, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.04.01 15:49:30 +05'30'